न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88,53 आरटीए
प्रकरण संख्या:–264/2020

रामप्रताप पुत्र बलराम पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. रामलाल पुत्र मनफूल
2. बलराम पुत्र रामलाल
3. गिरदावरी पत्नी बलराम

} जाति मेधवाल निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4. लीलावती पुत्री बलराम पत्नी पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी रामपूरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. गुगनराम पुत्र रामलाल
6. धोलांदेवी पत्नी मोहरसिह
7. मांगीलाल } पि0 मोहरसिह
8. बुधराम

} जाति मेघवाल निवासीयान मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

9. राजकुमारी पत्नी मुकेश कुमार पत्नी रामलाल जाति मेघवाल निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादीगण
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक :–** 12.01.2021

वादी रामप्रताप आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता तकसीम के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के दादा व प्रतिवादीसं0 2,5,9 के पिता के नाम से चकनं0 4 एम.जैड डबल्यू के खाता सं0 112/108 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में कुल 6.0100 है0 खातेदारी कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी का पिता पूर्व में गॉव पिचकराई में रहते थे। वादी के दादा मनफूल पुत्र सहीराम के नाम से चक 6 बारानी पटवार हल्का पिचकराई में कृर्षि भूमि थी व वादी के पिता को विरास्त में चक 6 बारानी खाता सं0 449/440 की कृर्षि भूमि प्राप्त हुई। वादी के पिता द्वारा अपनी विरास्त की आय से चक नं0 4 एम.जैड डबलयू में 6.0100 है0 कृर्षि भमि प्राप्त हुई है जो कि पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण ने हक व हिस्सा अनुसार कृर्षि भूमि का घरू बटवारां कर रखा है। घरू बटवारां में वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी वादी को प्राप्त हुई है। वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी व प्रतिवादीगण सं0 1,5,7,8 के कब्जा काश्त मे चली आ रही है व उसी अनुसार अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण सं0 2,3,4,6 व 9 अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहते है। वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। वस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का पिता पूर्व में गॉव पिचकराई में रहते थे। प्रतिवादी सं0 1 के पिता मनफूल पुत्र सहीराम के नाम से चक 6 बारानी पटवार हल्का पिचकराई में कृर्षि भूमि थी व वादी के पिता को विरास्त में चक 6 बारानी खाता सं0 449/440 की कृर्षि भूमि प्राप्त हुई। वादी के पिता द्वारा अपनी विरास्त की आय से चक नं0 4 एम.जैड डबलयू में 6.0100 है0 कृर्षि भमि प्राप्त हुई है जो कि पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति होने के कारण वादी व हम प्रतिवादीगण ने हक व हिस्सा अनुसार कृर्षि भूमि का घरू बटवारां कर रखा है। हमारा वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार आपस में घरू बटवारां किया हुआ है।वादपत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी व हम प्रतिवादीगण सं0 1,5,7,8 के कब्जा काश्त मे चली आ रही है व उसी अनुसार अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। हम प्रतिवादीगण सं0 2,3,4,6 व 9 अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहते है। वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिए वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है।जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादी रामप्रताप द्वारा साक्ष्य का स्वंय का शपथ पत्र व गुगनराम प्रतिवादीसं0 5, प्रतिवादीसं0 7 मांगीलाल, प्रतिवादीसं0 8 बुधराम द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।वादी द्वारा वारिसनामा प्रस्तुत किया गया तथा वारिसनामा बाबत स्टाम्प भी प्रस्तुत किया गया तथा वादी द्वारा ग्राम 6 बारानी पटवार हल्का पिचकराई की रामलाल पुत्र मनफूलराम के नाम की जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 खाता सं0 449/440 की फोटो प्रति व जमाबन्दी चक 6 बारानी खाता सं0 258 संवत 2029 ता 38 वादी के दादा मनूफूल पुत्र सहीराम के नाम की पेश की व गीतादेवी पत्नी रामलाल का सहमति पत्र पेश किया गया।स्टेट द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी ग्राम पिचकराई की भूमि को बैचान कर खरीद की गई है जो पैतृक सम्पति है। वाद में जवाबदावा सहमति पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिस बाबत वादी द्वारा ग्राम 6 बारानी पटवार हल्का पिचकराई की रामलाल पुत्र मनफूलराम के नाम की जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 खाता सं0 449/440 व जमाबन्दी चक 6 बारानी खाता सं0 258 संवत 2029 ता 38 वादी के दादा मनूफूल पुत्र सहीराम की फोटो प्रति पेश की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जबावदावा में वादी के वाद को स्वीकार किया गया है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी द्वारा वारिसान तस्दीक बाबत शपथ पत्र, साक्ष्य के रुप मे शपथ पत्र, आदि प्रस्तुत किये है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है। वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा सहमति, शपथ पत्र पैतृक सम्पति बाबत ग्राम पिचकराई चक 6 बारानी की मनफूल वल्द सहीराम के नाम की जमाबन्दी व रामलाल पुत्र मनफूल के नाम की चक 6 बारानी के खाता सं0 449

की जमाबन्दी का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी वगैरह तथा पैतृक सम्पति बाबत ग्राम पिचकराई की प्रतिवादी सं0 1 रामलाल के नाम की जमाबन्दी व जमाबन्दी चक 6 बारानी खाता सं0 258 संवत 2029 ता 38 वादी के दादा मनूफूल पुत्र सहीराम आदि प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकारं किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहे है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि**क.**वादी रामप्रताप को चक 4 एमजैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 1/3/.203, 2/1/.228,3/1/.228,4/1/.228 है0, 1 ता 4/.025 है0 प्रत्येक खाला, 7/.181, 8/.181, 9/.181, 10/2/.228 है0 में से .181 है0 **ख.**प्रतिवादीसं0 1 रामलाल को चकनं0 4 एम जैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 5/2/.051 है0 खाला, 5/3/.164, 6/2/.025 है0 खाला, 6/3/.190, 15/2/.025 है0 खाला, 15/3/.190, 16/2/.025 है0 खाला, 16/3/.190,25/ 2/.025 है0 खाला, 25/3/.190 है0 कुल 1.075 है0 मय गै0मु0 **ग.** प्रतिवादीसं0 5 गुगनराम को चकनं0 4 एम.जैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 7/.072, 8/.072, 9/.072, 10/.047 प्रत्येक किला दक्षिणी दिशा, 11/2/.228, 12,13,14/.759, 17/.090, 18/.090, 19/.090, 20/2/.228 है0 में से .090 है0 प्रत्येक किला उतरी दिशा **घ.**प्रतिवादीसं0 7 मांगीलाल को चकनं0 4 एम.जैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 17/.163, 18/.163, 19/.163, 20/2/.228 है0 मे से .138 प्रत्येक किला दक्षिणी दिशा, व 21/2/.228 है0 में से .045, 22/.045, 23/.045, 24/.045 है0 प्रत्येक किला उतरी दिशा, **ड़.**प्रतिवादीसं0 8 बुधराम को चकनं0 4 एम.जैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 21/2/.228 है0 में से .183, 22/.208, 23/.208, 24/.208 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व चकनं0 4 एम.जैड डबल्यू के खाता सं0 112/108 मे से प्रतिवादीसं0 1 रामलाल का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं (मालीवाल) उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–264/2020

रामप्रताप पुत्र बलराम पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. रामलाल पुत्र मनफूल
2. बलराम पुत्र रामलाल
3. गिरदावरी पत्नी बलराम

} जाति मेधवाल निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4. लीलावती पुत्री बलराम पत्नी पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी रामपूरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. गुगनराम पुत्र रामलाल
6. धोलांदेवी पत्नी मोहरसिह
7. मांगीलाल } पि0 मोहरसिह
8. बुधराम

} जाति मेघवाल निवासीयान मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

9. राजकुमारी पत्नी मुकेश कुमार पत्नी रामलाल जाति मेघवाल निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी रामप्रताप को चक 4 एमजैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 1/3/.203, 2/1/.228,3/1/.228,4/1/.228 है0, 1 ता 4/.025 है0 प्रत्येक खाला, 7/.181, 8/.181, 9/.181, 10/2/.228 है0 में से .181 है0 ख. प्रतिवादीसं0 1 रामलाल को चकनं0 4 एम जैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 5/2/.051 है0 खाला, 5/3/.164, 6/2/.025 है0 खाला, 6/3/.190, 15/2/.025 है0 खाला, 15/3/.190, 16/2/.025 है0 खाला, 16/3/.190,25/2/.025 है0 खाला, 25/3/.190 है0 कुल 1.075 है0 मय गै0मु0 ग.प्रतिवादीसं0 5 गुगनराम को चकनं0 4 एम.जैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 7/.072, 8/.072, 9/.072, 10/.047 प्रत्येक किला दक्षिणी दिशा, 11/2/.228, 12,13,14/.759, 17/.090, 18/.090, 19/.090, 20/2/.228 है0 में से .090 है0 प्रत्येक किला उतरी दिशा घ.प्रतिवादीसं0 7 मांगीलाल को चकनं0 4 एम.जैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 17/.163, 18/.163, 19/.163, 20/2/.228 है0 मे से .138 प्रत्येक किला दक्षिणी दिशा, व 21/2/.228 है0 में से .045, 22/.045, 23/.045, 24/.045 है0 प्रत्येक किला उतरी दिशा, ङ.प्रतिवादीसं0 8 बुधराम को चकनं0 4 एम.जैड डबल्यू के प0न0 198/372 मु0 47 किलानं0 21/2/.228 है0 में से .183, 22/.208, 23/.208, 24/.208 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व चकनं0 4 एम.जैड डबल्यू के खाता सं0 112/108 मे से प्रतिवादीसं0 1 रामलाल का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

कलक्टर ... अधिकारी टिब्बी

निज....X....निल....X....मुब्लिक..X...निल.....X.....बाबत.....X........निल.....X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.01.2021 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
(मांगीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी